

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं- 45/2021

इस कार्यालय का पत्रांक-का०/283/3/Mech./IRMT/Gr.D/SEE दिनांक-07.12.2020 एवं मरेप्र/का०/लखनऊ/पूर्वतर रेल का पत्रांक-ई/III/अम-अरे/पारस्परिक स्था०/खलासी/2020 दिनांक-23.11.2020 द्वारा श्रीमती मीना तिवारी, हेल्पर यांत्रिक समाडी/सोनपुर एवं श्री पिंटू कुमार, हेल्पर यांत्रिक समाडी/ लखनऊ/ पूर्वतर रेल के बीच हेल्पर जीपी-1800 लेवल-1 में अंतर रेल पारस्परिक स्थानांतरण पर दोनों रेल की सहमति प्राप्त है। अतः रेल परिषद् के पत्र सं- ई/एनजी/1/2017/टीआर/24 दिनांक-09.05.2018 के आलोक श्रीमति मीना तिवारी, हेल्पर यांत्रिक समाडी/सोनपुर को पारस्परिक स्थानांतरण पर लखनऊ मंडल पूर्वतर रेल विरमित किया जाना है।

कर्मचारी को निम्न शर्तों के साथ इस कार्यालय को विरमित करे:-

- (I) विरमन के समय कर्मचारी DAR/SPE/Vig केश से मुक्त हो।
- (II) नियमानुसार दोनों कर्मचारीयो को किसी प्रकार का भत्ता तथा शोटीजी/पास/ स्थानांतरण अवकाश देय नहीं होगा।
- (III) नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानांतरण नहीं लेंगे।
- (IV) वरीयता पारस्परिक स्थानांतरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।

(बिजय इंजीनियर)

सकाधि-III

कृते मरेप्र (का०)/सोनपुर
दिनांक:-25.01.2021

सं०:- का/283/अरे०अम०/स्थानांतरण/यांत्रिक/समाडी/सोन
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
01.वमयाई/समाडी/सोनपुर
02. मरेप्र/का०/लखनऊ/पूर्वतर रेल,
04.समयाई/समाडी/सोनपुर 05.सि०से०ई/समाडी/सोनपुर
05.सम्बंधित कर्मचारी

25/1/2021
कृते मरेप्र (का०)/सोनपुर